Affiliation (State Government)
(a) Encls-(4)

संख्या-सम्ब0-131/सत्तर-2-2011-2(32)/20

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

कुलसचिव,
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 7 जुलाई, 2011

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: सम्बद्धन/1519/11, दिनांक 20.6.2011 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनि 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-3 के परन्तुक के अधीन सिम्बीजिया गर्ल्स कालेज, महारानी बाग, बोदला, आगरा को स्नातक स्तर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम (100 सीट) में शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल अभाव में सत्र 2011-12 हेतु संबद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है तथा परीक्षाफल घोषि जाने पर सत्र 2011-12 से संबद्धता की पूर्वानुमति को संबद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति मानने निम्नलिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत कर दी जायेगी :-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 200 उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करे
(2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सु एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मि एवं कांउसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा रा अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन जायेगा।
(3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनि नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधान अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसा जायेगी।
(4) संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्ण तथा निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सम्0-131(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर।
(2) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
(4) सचिव/प्रबन्धक, सिम्बौजिया गर्ल्स कालेज, महारानी बाग, चोदला, आगरा
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(7) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।